पत्रांक–15 / स्मार्ट सिटी–16–16 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले०एवं ह०),
बिहार, पटना।
*द्वारा–आंतरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–

विषयः– केन्द्र प्रायोजित सिटी इनवेस्टमेंटस टू इनोवेट, इंटीग्रेट एवं सस्टेन 2.0 (CITIIS–2.0) योजनांतर्गत मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH के माध्यम से विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹750.00 लाख (सात करोड़ पचास लाख रू०) मात्र एवं केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹187.50 लाख (एक करोड़ सतासी लाख पचास हजार रू०) मात्र अर्थात कुल राशि ₹937.50 लाख (नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार रू०) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

1. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F-No-142_efle9187168_motsanctionCom&1_2026&27_CITIIS 2.0, दिनांक–13.04.2026 द्वारा CITIIS 2.0 योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष, 2026–27 में केन्द्रांश की राशि ₹750.00 लाख (सात करोड़ पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में Mother Sanction निर्गत किया गया है। उक्त Mother Sanction के आलोक में विमुक्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹187.50 लाख (एक करोड़ सतासी लाख पचास हजार रु०) मात्र अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि **₹937.50 लाख (नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार रू०)** मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. तदोपरांत आवश्यकतानुसार मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी/कार्यान्वयन एजेंसी को SNA SPARSH के माध्यम से दिये गये Virtual Allotment / Limit राशि व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का व्यय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F-No.142_efle9187168_motsanctionCom1_2026-27_CITIIS2.0, दिनांक–13.04.2026 के आलोक में की जायेगी।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक–5295, दिनांक–09.05.25 में वर्णित दिशा–निर्देशों एवं Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F-No-1(27)/PFMS/2020 दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F-No 1(27)/PFMS/2020, दिनांक–07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार के पत्र सं०–e-gov/PFMS-05/2023-398 दिनांक–13.01.2025 के द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि Just-in-Time पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुडा, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Account Number	Name of Account	Scheme Code	SLS Code
1	01585501221	GOBHSPARSH CITIIS 2.0	4259	BR317

5. स्वीकृत राशि **₹937.50 लाख (नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार रू०)** मात्र माँग/विनियोग सं०–48 मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0217, सी०आई०टी०आई०आई०एस०–2.0, विपत्र कोड–48–2217–03–051–0217, विस्तृत/विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान एवं वस्तुगत, शीर्ष–05–सहायक अनुदान, परिसम्पतियों का निर्माण, इत्यादि एवं PFMS कोड–9478 से वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि में से विकलनीय होगी।

6. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग के पत्र संख्या-e-gov/SNA-SPARSH-05/2025-469, दिनांक–14.01.2026 द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर आधारित SNA Sparsh पर प्रक्रिया के तहत राशि की निकासी के मामले में डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को नहीं है। यह व्यवस्था सिर्फ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए है।

8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०–37 (Note-4)/टि० पर दिनांक–..... 27/05/26 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ०–41 (Note-11)/टि० पर दिनांक–05/06/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/स्मार्ट सिटी–16–16/2025 88 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–30/06/26

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/निदेशक, बुडा/लेखापाल बुडा/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव, MoHUA, GoI Smart City/CITIIS 2.0 Division/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त–सह–प्रबंध निदेशक, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 15, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।